



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE
NOIDA DADRI ROAD, PHASE-II, NOIDA - 201305
DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (UTTAR PRADESH)

फा०सं०10/274/2009-एसईजेड /

दिनांक: 11/01/2018

सेवा मे ,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002
3. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं उत्पाद शुल्क, एस सी ओ नं 407 & 408, सेक्टर- 8, पंचकुला (हरियाणा) ।
4. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुडगाँव-1, दिल्ली-तृतीय, प्लॉट नं 36 व 37, सेक्टर 32, गुडगाँव ।
5. आयुक्त, आयकर, न्यू सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, एनएच 4, फरीदाबाद ।
6. संयुक्त आयुक्त, आयकर, सीमा-II, उद्योग विहार, फेज-5, गुडगाँव (हरियाणा)।
7. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
8. निदेशक (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग), हरियाणा सरकार, 30 बेज भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़।
9. प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, हरियाणा सरकार, प्लॉट नं सी -13 व 14, सेक्टर 6 पंचकुला, हरियाणा ।
10. वरिष्ठ नगर योजनाकार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (मुख्यालय), एस सी ओ :71-75, सेक्टर 17C, चंडीगढ़।
11. श्री एस एन सिंह, संयुक्त निदेशक, ज़िला उद्योग केंद्र, प्लॉट नं 2, आई डी सी, गुडगाँव, हरियाणा।

विषय: दिनांक 05/01/2018 को अपराह्न 12:30 बजे सम्मेलन हॉल, प्रशासनिक भवन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अनुमोदन समिति बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।


महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में डा० एल बी सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 05/01/2018 को अपराह्न 12.30 बजे सम्मेलन हॉल, प्रशासनिक भवन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अनुमोदन समिति बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

इसे विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक : उपरोक्त

भवदीय,


(राजेश कुमार)
उप विकास आयुक्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

हरियाणा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अनुमोदन समिति की बैठक 05.01.2018 को डॉ एल.बी. सिखल, विकास आयुक्त एनएसईजेड की अध्यक्षता में नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा के सम्मेलन हॉल में 12.30 बजे आयोजित की गई।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -

1. श्री एस. एस. शुक्ला, सञ्चालक विकास आयुक्त, एनएसईजेड
 2. श्री आर.के. जैन, उपायुक्त, आयकर, गुडगाछ।
 3. श्री मुकेश कुमार, सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, गुडगाछ
 4. श्री गोबिन्दा बनर्जी, एफटीडीओ, अपर डीजीएफटी का कार्यालय, नई दिल्ली
 5. श्री राज सिंह, डीटीपी का कार्यालय, गुडगाछ, डीटीसीपी का कार्यालय, हरियाणा, चष्ठीगढ के प्रतिनिधि
 6. श्री महिपाल सिंह, डीटीपी का कार्यालय, गुडगाछ, डीटीसीपी हरियाणा, चष्ठीगढ के प्रतिनिधि
 7. एसईजेड डेवलपर्स / सह-डेवलपर्स के प्रतिनिधि, विशेष आमंत्रित।
2. इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान i) श्री राजेश कुमार, डीडीसी, ii) श्री सतीश सी गणार, निर्दिष्ट अधिकारी, iii) श्री हरविद्वर सावा, निर्दिष्ट अधिकारी, iv) श्री प्रकाश चव्वा उपाध्याय, एडीसी और v) श्री मोहन वीर रूहेला, एडीसी भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे।
3. आरम्भ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल प्रत्येक मद को एक-एक करके विचार-विमर्श के

लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों / डेवलपर्स / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

1. 01.12.2017 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का मूल्यांकन: -

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया था कि अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से 01/12/2017 को अनुमोदन समिति के निर्णयों के खिलाफ कोई सद्दर्भ प्राप्त नहीं हुआ था और इसलिए 01/12/2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त अनुमोदित किये गए।

2. मैसर्स एएसएफ इन्सिग्निया एसईजेड प्रा. लिमिटेड, डेवलपर का VII गवाल पहारी तहसील सोहना, जिला गुडगाछ (हरियाणा) स्थित अपने आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत सञ्चालन के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सञ्चालन में लाया गया कि मैसर्स एएसएफ इन्सिग्निया एसईजेड प्रा. लिमिटेड, ग्राम- गवाल पहारी, जिला-गुडगाछ (हरियाणा) में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के डेवलपर ने अपने एसईजेड में निम्नलिखित डिफॉल्ट / अनुमोदित अधिकृत सञ्चालन करने के लिए सामग्री की सूची की मजूरी के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था: -

क्रम सं०	अधिकृत सञ्चालन का नाम	निर्देश स. 50 और 54 के अनुसार अधिकृत	अनुमानित लागत (रुपये में लाख)
1.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उचित क्षमता, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं	04	15.40
2.	विद्युत (विद्युत बैकअप सुविधाओ सहित)	बीओए द्वारा स्वीकृत	2.00
3.	एक्सेस कंट्रोल और मॉनीटरिंग सिस्टम	24	4.50
4.	प्रसङ्करण क्षेत्र की एयर क्लीशनिष्ठा	बीओए द्वारा स्वीकृत	10.45
5.	यूएसी द्वारा यथा अनुमोदित प्रसङ्करण क्षेत्र में सभी प्रकार की इमारत का निर्माण	22	1.17
6.	सुविधा प्रबन्धन कार्यालय	बीओए द्वारा स्वीकृत	3.50
		कुल:	37.02

श्री अशोक सिंह, अपर महाप्रबन्धक डेवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता को समझाया।

उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्री की सूची को मंजूरी दे दी।

3. मैसर्स आर कैंडर गुडगाँव वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपर का गाँव टिकरी, सेक्टर -48 गुडगाँव (हरियाणा) में स्थित आईटी

/ आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत सञ्चालन के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सञ्चालन में लाया गया कि मैसर्स आर कैंडर गुडगाछ वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, डेवलपर का गाछ टिकरी, सेक्टर- 48 गुडगाछ (हरियाणा) ने अपने एसईजेड में निम्नलिखित चूक / अनुमोदित अधिकृत सञ्चालन करने के लिए सामग्री की सूची की मजूरी के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था: -

क्र म सं	अधिकृत सञ्चालन का नाम	निर्देश स. 50 और 54 के अनुसार अधिकृत अधिकृत सञ्चालक की चूक सूची की क्रम सं	अनुमानित लागत (रुपये में लाख)
1.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उचित क्षमता, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं	04	81.30
2.	जल उपचार सञ्चालन, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइन, तूफान जल निकासी और उचित क्षमता के जल स्रोत	02	70.40
3.	स्प्रिंकलर, आग और धुएँ डिटेक्टर सहित अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	13.50

4.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	175.50
		कुल	340.70

श्री जय कुमार, अध्यक्ष एसईजेड-अनुपालन और श्री अमरीक सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक डेवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता को समझाया।

उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्री की सूची को मंजूरी दे दी।

4. मैसर्स आर 1 आरसीएम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, कैंडर गुडगाछ वन रियलिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई, का आईटी / आईटीईएस सेज गाछ टिकरी, सेक्टर -48 गुडगाछ (हरियाणा) में अपनी इकाई के परिसर में मैसर्स स्पाइस एण्ड बाइट द्वारा 'टक शॉप' की स्थापना के लिए का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सज्जान में लाया गया कि मैसर्स आर 1 आरसीएम ग्लोबल प्रा. लिमिटेड, मैसर्स कैंडर गुडगाछ वन रियलिटी प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड गाछ- टिकरी, सेक्टर- 48, गुडगाछ (हरियाणा) के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में एक इकाई ने द्वितीय तल, भवन स01 पर अपने कर्मचारियों / कर्मियों द्वारा उपयोग के लिए 135 वर्ग फुट क्षेत्र में अपने परिसर में 'टक शॉप' स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह सूचित किया गया था कि इकाई ने विशेष रूप से अपने कर्मचारियों के लिए इकाई परिसर में कैफेटेरिया और टक शॉप सुविधाओं के लिए एसईजेड डेवलपर से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' दिनांक 19.12.2017 की प्रति

प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया था कि इकाई का मौजूदा 'कैफेटेरिया' द्वितीय तल , भवन स॥ में 4500 वर्गफुट क्षेत्र में है जो 01/07/2017 से मैसर्स एग्लो हॉस्पिटैलिटी प्रा. लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है जिसके लिए इकाई ने उक्त कैफेटेरिया के नियमितीकरण के लिए अलग अनुरोध प्रस्तुत किया है और अलग से जाँच की जा रही है।

श्री उदय गोयल, वरिष्ठ प्रबन्धक, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव समझाया। उन्होंने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि प्रस्तावित टक शॉप में खाद्य पैक की हुई खाद्य वस्तुओं, कॉफी और चाय को विशेष रूप से उनकी एसईजेड इकाई के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। डीटीसीपी का कार्यालय, हरियाणा के प्रतिनिधि ने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि 'टक शॉप' को केवल वाणिज्यिक विषय के रूप में मान्यता दी गई है और इसलिए 'पेंट्री' के लिए उचित स्वीकृति माँगना अधिक उचित होगा। अनुमोदन समिति ने तदनुसार इकाई के प्रतिनिधि को 'टक शॉप' की बजाय 'पेंट्री' स्थापित करने हेतु एक पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उचित विचार-विमर्श के बाद और डीटीसीपी का कार्यालय, हरियाणा, चण्डीगढ़ के प्रतिनिधि निधि के विचार / टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन समिति ने एसईजेड इकाई के कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से उपयोग के लिए टक शॉप के बजाय 'पेंट्री' के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो इस शर्त के अधीन है कि इकाई और मैसर्स स्पाइस एण्ड बाइट को इकाई के परिसर में ऐसी सुविधा को स्थापित करने, सञ्चालित करने और बनाए रखने के लिए कोई कर / शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

5. मैसर्स कैंडर गुडगाछ टू डेवलपर्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सह-डेवलपर का गाछ झुआहेडा गुडगाछ हरियाणा स्थित मैसर्स गुडगाछ इफ्रोस्पेस लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत सञ्चालन के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सञ्चान में लाया गया कि मैसर्स कैंडर गुडगाछ टू डेवलपर्स एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सह- डेवलपर) ने झुआहेडा गुडगाछ (हरियाणा) स्थित मैसर्स गुडगाछ इफ्रोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में निम्नलिखित डिफॉल्ट / अनुमोदित अधिकृत सञ्चालन करने के लिए सामग्री की सूची की मञ्जूरी के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था: -

क्र म सं	अधिकृत सञ्चालन का नाम	निर्देश स. 50 और 54 के अनुसार अधिकृत	अनुमानित लागत (रुपये में लाख)
1.	अभिगम नियन्त्रण और निगरानी प्रणाली	24	216.63
2.	स्प्रिंकलर, आग और धुएँ डिटेक्टर सहित अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	102.60
3.	यूएसी द्वारा यथा अनुमोदित प्रसञ्चकरण क्षेत्र में सभी प्रकार की इमारत का निर्माण	22	103.00
4.	प्रसञ्चकरण क्षेत्र की एयर क्लीशनिष्ठा	21	127.80

5.	जल उपचार सञ्चय, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइन, तूफान जल निकासी और उचित क्षमता के जल स्रोत	02	14.85
6.	ठोस और तरल अपशिष्ट सञ्चय, उपचार और निपटान सञ्चय जिसमें पाइपलाइन तथा मल और कचरा निपटान, मल उपचार सञ्चयों के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे शामिल हैं	03	96.55
7.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उचित क्षमता, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं	04	31.00
		कुल	692.43

श्री जय कुमार, अध्यक्ष एसईजेड-अनुपालन, श्री अमरीक सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक और प्रशासन त्यागी, परियोजना समन्वयक डेवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता को समझाया।

डेवलपर के प्रतिनिधि ने बताया कि क्रम सं 10 में अधिकृत सञ्चालन नामतः 'ठोस और तरल अपशिष्ट सञ्चय, उपचार और निपटान सञ्चय जिसमें पाइपलाइन तथा मल और कचरा निपटान, मल उपचार सञ्चयों के लिए अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे शामिल हैं' के तहत प्रस्तावित '2000 केजी मीडिया' 'फ़िल्टर मीडिया' है।

उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्री की सूची को मंजूरी दे दी।

8. मैसर्स डेफसिस सोल्यूशंस प्राइवेट का क्षेत्र विस्तार, निर्माण की अतिरिक्त मर्दों को शामिल करने और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में स्थित इकाई के अनुमानों में सशोधन जिसमें डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, गाछ गमरोज सोहना रोड गुडगाछ हरियाणा के आईटी / आईटीईएस एसईजेड शामिल हैं, और कार्यनिष्पादन की निगरानी का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सज्जान में लाया गया कि मैसर्स डेफसिस सोल्यूशंस प्राइवेट का क्षेत्र विस्तार, निर्माण की अतिरिक्त मर्दों को शामिल करने और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में स्थित इकाई के अनुमानों में सशोधन जिसमें डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, गाछ गमरोज सोहना रोड गुडगाछ हरियाणा के आईटी / आईटीईएस एसईजेड शामिल हैं, और कार्यनिष्पादन की निगरानी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान में इकाई के पास भूतल और प्रथम तल पर 48848 वर्गफुट का क्षेत्रफल है और इकाई ने एसईजेड के भूतल पर अतिरिक्त 56093 वर्गफुट का अनुरोध किया है। एसईजेड के ग्राउंड फ्लोर पर। यह भी सूचित किया गया कि इकाई ने इकाई के प्रस्तावित विस्तार के कारण निम्नानुसार सशोधित अनुमान प्रस्तुत किए हैं: -

(लाखों में रुपये)

विवरण (पाछ साल के लिए)	कटौती अनुमान	सञ्चोधित अनुमान
एफओबी मूल्य निर्यात	83199.00	142137.00
<u>विदेशी मुद्रा निर्गम</u>		
क) पूंजीगत वस्तुएं	241.00	4041.00
ख) निःशुल्क पूंजीगत वस्तुएं (वापसी आधार पर)	6000.00	15120.00
ग) कच्चा माल, उपकरण इत्यादि।	30408.00	
कुल =		71953.00
	36649.00	
निवल विदेशी मुद्रा अर्जन	46550.00	51023.00
स्वदेशी पूंजीगत वस्तुएं	318.91	2548.91
स्वदेशी कच्चा माल / उपभोग्य सामग्रिया / घटक आदि	21830.00	24031.00

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया कि इकाई ने निम्नलिखित वस्तुओं को स्वीकृति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है:

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर (विनिर्माण, असेंबली और परीक्षण):

- i. इलेक्ट्रा ऑप्टिक साइट्स - 50 प्रति वर्ष
- ii. इलेक्ट्रो ऑप्टिक बॉक्स असेंबली और परीक्षण - 50 प्रति वर्ष
- iii. इलेक्ट्रा मैकेनिकल असेंबली - 70 प्रति वर्ष

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 (प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष) के लिए एपीआर के अनुसार इकाई का सञ्चयी एनएफई (-) 222.56 लाख रुपये नकारात्मक है।

- i) स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल का मौजूदा अनुमोदित मूल्य गलत तरीके से क्रमशः 282 लाख रुपये और 30409 लाख रूपए के रूप में उल्लिखित किया गया है। स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल का मौजूदा अनुमोदित मूल्य क्रमशः 318.91 लाख रुपये और 21830 लाख रुपये है।
- ii) इकाई ने स्वीकृति सूची में अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने के लिए विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। दिनांक 12.12.2017 कवर पत्र के विषय में, लिखा गया है "क्षेत्र विस्तार (भूतल पर 56093 वर्गफुट) के लिए आवेदन । हालांकि जमा किए गए दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि इकाई ने पहले वर्णित 03 मर्दों को शामिल करने की अनुमति मांगी है।
- iii) यूनिट ने सीजी / कच्चे माल के आईटीसी (एचएस) कोडों का उल्लेख किया है जिसमें विभिन्न आईटीसी एचएस) कोड सही तरीके से नहीं दिए गए हैं।

श्री समर भार्गव, उपाध्यक्ष और श्री योगेंद्र मित्तल, महाप्रबन्धक- वित्त डेवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष पेश हुए और प्रस्ताव समझाया।

उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने क्षेत्र के विस्तार, स्वीकृति सूची में अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने और लब्धित दस्तावेजों को

जमा करने के अधीन इकाई के अनुमानों में सञ्चोधन और बॉन्ड-सह-एलयूटी के निष्पादन के भी अधीन के प्रस्ताव को मञ्जूरी दी। अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के सधर्भ में इकाई के कार्यनिष्पादन की निगरानी की क्योंकि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए एपीआर के अनुसार सञ्चयी एनएफई नकारात्मक है।

9. मैसर्स डीएलएफ पावर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, सह- डेवलपर सेक्टर-30 सिलोखेरा गुडगाव (हरियाणा) स्थित मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत सञ्चालन के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के सञ्चान में लाया गया कि मैसर्स डीएलएफ पावर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, सह- डेवलपर ने मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड, सेक्टर-30 सिलोखेरा गुडगाव (हरियाणा) के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में निम्नलिखित डिफॉल्ट / अनुमोदित अधिकृत सञ्चालन करने के लिए सामग्री की सूची की मञ्जूरी के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था: -

क्रम स□	अधिकृत सञ्चालन का नाम	निर्देश स. 50 और 54 के अनुसार अधिकृत अधिकृत सञ्चालक की चूक सूची की क्रम स□	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	स्प्रिंकलर, आग और धुए डिटेक्टर सहित अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	2.96
2.	अभिगम नियञ्चण और निगरानी प्रणाली	24	1.58

3.	इंजीनियरिंग, रखरखाव जिसमें विद्युत और मैकेनिकल कार्य, ताप, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणाली, आग का पता लगाना और अलार्म प्रणाली, जल आपूर्ति, तूफान जलनिकास और सीवेज निपटान, भवन रखरखाव सेवाएँ लिफ्ट लांबी, सम्मेलन कक्ष, पार्किंग क्षेत्र, उपयोगिता क्षेत्र,	बीओए द्वारा अनुमोदित अधिकृत सञ्चालन के अनुसार	75.06
		कुल:	79.60

श्री अनिल नौरियाल, महाप्रबन्धक और श्री पीताम्बर शर्मा, प्रबन्धक सह-डेवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता को समझाया।

उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्री की सूची को माजुरी दे दी।

8. मैसर्स सैपिएन्ट कंसल्टिंग लिमिटेड (यूनिट -1), मैसर्स गुडगाव इफ्रोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में एक इकाई के सञ्चालन में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को प्रभावी करने और कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए प्रस्ताव

यह सूचित किया गया कि सैपिएन्ट कंसल्टिंग लिमिटेड (यूनिट -1), गाव इन्डाहेडा, सेक्टर -21 गुडगाव (हरियाणा) स्थित मैसर्स गुडगाव इफ्रोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में एक इकाई का कार्यनिष्पादन 03.11.2017 को

आयोजित बैठक में नीचे दिए गए एपीआर के अनुसार अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया:

(लाख रु. में)

वर्ष	निर्यात	डीटीए बिक्री	विदेशी मुद्रा	एनएफई अर्जन	लब्धित एफई
2012-13	29809.58	0.00	2231.13	27578.45	0.00
2013-14	37079.06	358.81	2192.66	34886.40	0.00
2014-15	44310.88	5621.21	2122.58	42188.30	0.00
2015-16	38037.25	5269.01	1063.54	36973.71	0.00
2016-17	46397.85	5903.92	957.82	45440.03	0.00
कुल:	195634.62	17152.95	8567.73	187066.89	0.00

यह सूचित किया गया था कि अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने सञ्चालन के पिछले चार वर्षों के दौरान 1,7152.95 लाख रुपये की डीटीए बिक्री की है। तदनुसार, अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को डीटीए बिक्री का विस्तृत विवरण जमा करने का निर्देश दिया था, यथा i) डीटीए में प्रदान की जाने वाली सेवाएं और मुफ्त विदेशी मुद्रा से प्राप्त भुगतान और ii) भारतीय रुपये में भुगतान के बदले डीटीए में दी गई सेवाएं। अनुमोदन समिति ने इकाई को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) में दी गई "सेवाओं" की परिभाषा का अनुपालन करने का निर्देश भी दिया, जैसा कि पत्र सङ्ख्या डी .12 / 50/2016-एसईजेड दिनांक 04.04.2016 के अनुसार डीसीसी द्वारा निर्देशित किया गया है।

इसके अलावा, यह अनुमोदन समिति को सूचित किया गया था कि इकाई ने 05.12.2017 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि इकाई को डीटीए

में दी गई सेवाओं के लिए मुफ्त विदेशी मुद्रा में कोई पैसा नहीं मिला है और पूरी रसीद भारतीय रुपये में है।

श्री नीरज मित्तल, निदेशक और श्री विशाल अग्रवाल, प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और पुष्टि की कि डीटीए में इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भारतीय रुपये में भुगतान के बदले थीं।

अनुमोदन समिति ने स्पष्ट किया कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) (iii) के अनुसार, "सेवाओं का अर्थ है ऐसी व्यापार योग्य सेवाएं जो विदेशी मुद्रा का अर्जन करती हैं" और एसईजेड इकाई को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) में दी गई "सेवाओं की परिभाषा का अनुपालन करने की आवश्यकता है। इसलिए, इकाई द्वारा डीटीए में प्रदान की जाने वाली सेवाएं एसईजेड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं क्योंकि इकाई ने वित्त वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान डीटीए में 1,7152.95 लाख रुपये की सेवाएं प्रदान की हैं जो मुफ्त विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान के बदले थीं।

उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने वित्त वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान डीटीए में 1,7152.95 लाख रुपये की मुफ्त विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान के बदले डीटीए में सेवाएं प्रदान करने के लिए इकाई को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

9. मैसर्स सैपिएट कंसल्टिंग लिमिटेड (यूनिट -III), मैसर्स गुडगांव इफ्रोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में एक इकाई के संबंध में अपीलिय

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को प्रभावी करने और कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए प्रस्ताव

यह सूचित किया गया कि सैपिएट क्लसलिटेड लिमिटेड (यूनिट -III), गाब इष्ठाहेडा, सेक्टर -21 गुडगाब (हरियाणा) स्थित मैसर्स गुडगाब इफ्रोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में एक इकाई का कार्यनिष्पादन 03.11.2017 को आयोजित बैठक में नीचे दिए गए एपीआर के अनुसार अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया:

(लाख रु. में)

वर्ष	निर्यात	डीटीए बिक्री	विदेशी मुद्रा	एनएफई अर्जन	लक्षित एफई
2012-13	4434.02	0.00	326.81	4107.21	0.00
2013-14	18693.07	6473.80	1275.75	17417.32	0.00
2014-15	24757.35	3849.08	1343.49	23413.86	0.00
2015-16	44443.49	3859.94	1101.03	43342.46	0.00
2016-17	53202.10	3640.70	965.99	52236.11	0.00
कुल:	145530.0	17823.52	5013.07	140516.96	0.00

यह सूचित किया गया था कि अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने सञ्चालन के पिछले चार वर्षों के दौरान 1,7823.52 लाख रुपये की डीटीए बिक्री की है। तदनुसार, अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को डीटीए बिक्री का विस्तृत विवरण जमा करने का निर्देश दिया था, यथा i) डीटीए में प्रदान की जाने वाली सेवाएं और मुफ्त विदेशी मुद्रा से प्राप्त भुगतान और ii) भारतीय रुपये में भुगतान के बदले डीटीए में दी गई सेवाएं। अनुमोदन समिति ने इकाई को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) में दी गई "सेवाओं" की परिभाषा का अनुपालन करने का निर्देश भी दिया, जैसा कि पत्र सञ्ख्या डी

.12/50/2016-एसईजेड दिनांक 04.04.2016 के अनुसार डीसीसी द्वारा निर्देशित किया गया है।

इसके अलावा, यह अनुमोदन समिति को सूचित किया गया था कि इकाई ने 05.12.2017 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि इकाई को डीटीए में दी गई सेवाओं के लिए मुफ्त विदेशी मुद्रा में कोई पैसा नहीं मिला है और पूरी रसीद भारतीय रुपये में है।

श्री नीरज मित्तल, निदेशक और श्री विशाल अग्रवाल, प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और पुष्टि की कि डीटीए में इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भारतीय रुपये में भुगतान के बदले थीं।

अनुमोदन समिति ने स्पष्ट किया कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) (iii) के अनुसार, "सेवाओं का अर्थ है ऐसी व्यापार योग्य सेवाएं जो विदेशी मुद्रा का अर्जन करती हैं" और एसईजेड इकाई को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) में दी गई "सेवाओं की परिभाषा का अनुपालन करने की आवश्यकता है। इसलिए, इकाई द्वारा डीटीए में प्रदान की जाने वाली सेवाएं एसईजेड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं क्योंकि इकाई ने वित्त वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान डीटीए में 1,7823.52 लाख रुपये की सेवाएं प्रदान की हैं जो मुफ्त विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान के बदले थीं।

उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने वित्त वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान डीटीए में 1,7823.52 लाख रुपये की मुफ्त विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में भुगतान के बदले डीटीए में सेवाएं प्रदान करने के लिए इकाई को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में विदेशी व्यापार

(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

10. मैसर्स गुडगाछ इफ़ोस्पेस लिमिटेड का गाछ झुआहेडा, सेक्टर -21 गुडगाछ (हरियाणा) में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के प्रसङ्करण क्षेत्र में टॉवर -7 और 9 तथा मल्टी लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) ब्लॉक के सङ्घ में व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए फॉलिङ्ग प्रस्ताव।

इसे अनुमोदन समिति के सङ्गान में लाया गया था कि जिला शहरी योजनाकार (मुख्यालय), डीटीसीपी का कार्यालय हरियाणा, चङ्गीगढ ने अपने पत्र ज्ञापन स०एसईजेड -46 / एसडी (बीएस) / 2017/30579 दिनाङ्क 30.11.2017 और इसके बाद के ज्ञापन स०एसईजेड -46 / एसडी (बीएस) 2017/31658 दिनाङ्क 11.12.2017 में मैसर्स गुडगाछ इफ़ोस्पेस लिमिटेड द्वारा गाछ झुआहेडा, सेक्टर -21 गुडगाछ (हरियाणा) में आईटी / आईटीईएस एसईजेड सेज के प्रसङ्करण क्षेत्र में टॉवर -7 और 9 तथा मल्टी लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) ब्लॉक के सङ्घ में व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियाँ अङ्गेषित की थीं।

यह सूचित किया गया था कि जिला डीटीपी (मुख्यालय), ने दिनाङ्क 30.11.2017 और 11.12.2017 के अपने ज्ञापन द्वारा व्यवसाय प्रमाण पत्र के अनुदान के सङ्घ में कोई विशेष सिफारिश नहीं की थी। डीटीसीपी का कार्यालय हरियाणा, चङ्गीगढ ने 22/12/2017 के इस कार्यालय के पत्र द्वारा अनुरोध किया था कि अनुमोदन समिति के विचार के लिए व्यवसाय प्रमाणपत्र के अनुदान पर स्पष्ट सिफारिश भेजी जाए। हालाङ्कि, डीटीसीपी का कार्यालय हरियाणा, चङ्गीगढ के

प्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि डीटीसीपी की स्पष्ट कटौती सिफारिश अभी भी अपेक्षित है।

उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव स्थगित कर दिया और डीटीसीपी का कार्यालय हरियाणा, चष्ठीगढ़ के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि बैठक में उपस्थित होकर अनुमोदन समिति द्वारा आगे विचार के लिए मामले पर स्पष्ट सिफारिश अग्रेषित करें।

11. मैसर्स लेक्सइनोवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड , डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, आईटी / आईटीईएस एसईजेड, गुडगाछ में एक इकाई के सब्सिडी में कार्यनिष्पादन की निगरानी और एसईजेड योजना से बाहर निकलने पर विचार करने का प्रस्ताव।

यह सूचित किया गया था कि 05.05.2017 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति ने मैसर्स लेक्सइनोवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को कार्यनिष्पादन की समीक्षा और निर्गम पर विचार के लिए स्थगित कर दिया था और निर्देशित किया कि निदेशक को व्यक्तिगत रूप से मामले का इतिहास बताते हुए एक विस्तृत पत्र जारी करें जिसमें दस्तावेजों / स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया जाए और ऐसा न होने की स्थिति में विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यह सूचित किया गया था कि अनुमोदन समिति द्वारा यथा निर्देशित 06.06.2017 को एक पत्र मैसर्स लेक्सइनोवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रिकॉर्ड में उपलब्ध पत्रों पर जारी किया गया था।

यह सूचित किया गया था कि इस कार्यालय के दिनांक 06.06.2017 और 21.06.2017 के पत्र के जवाब में, मैसर्स एल आई कम्प्लिटा प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी का नया नाम, से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया है कि अप्राप्त राशि \$ 2,250,033 से \$ 40,000 की राशि प्राप्त की गई है, इस प्रकार शुद्ध अप्राप्त राशि \$ 2,210,033 है। इसके अलावा, यह सूचित किया गया कि इकाई ने एलआई कम्प्लिटा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के विवरण के साथ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, पैन कार्ड, आईईसी प्रमाण पत्र की प्रतियाँ जमा की हैं। यह सूचित किया गया कि लक्षित विदेशी मुद्रा प्राप्ति की अवधि में विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमति के सञ्चय में, इकाई ने 15.06.2017 के अपने पत्र की प्रति और 12.06.2017 के पत्र को प्रस्तुत किया था, जिसके साथ उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से 325273 डॉलर बट्टे खाते में डालने और इक्विटी शेयरों में प्राप्य यानी \$ 1852260 के रूपांतरण की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

श्री सिद्धार्थ गुप्ता, प्राधिकृत व्यक्ति इकाई की तरफ से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि इकाई ने 325273 यूएस डॉलर बट्टे खाते में डालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया है और हाशिकाशा में दो प्रमुख कम्पनियों में इक्विटी शेयरों में प्राप्त करने योग्य यानी 1852260 यूएस डॉलर का रूपांतरण किया है। उन्होंने आगे बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति जनवरी, 2018 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि कम्पनी के नाम बदलने के परिणामस्वरूप कम्पनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है।

उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और इकाई के प्रतिनिधि को से ऐसे सभी बट्टे खातों के साथ-साथ लक्षित

विदेशी मुद्रा प्राप्ति के इक्विटी शेयर में रूपांतरण प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने और इस कार्यालय में इसकी प्रति जमा करने का निर्देश दिया। स्वीकृति समिति द्वारा आगे विचार। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के लिए दो महीने का समय दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन देने के साथ बैठक समाप्त की गई।

(एस. एस. शुक्ला)

संयुक्त विकास आयुक्त

(डॉ. एल बी सिंघल)

विकास आयुक्त